न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 09/2019
प्रविष्टि दिनांक 06.03.2019

महावीर पुत्र प्रहलाद जाति मीना निवासी चारनेट तहसील दूनी जिला टोंक राज0

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार नगरफोर्ट जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार नगरफोर्ट दिनांक 22.02.2019 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री दुर्गालाल मीना, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

दिनांक 10.12.2019

निर्णय

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नगरफोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 22.02.2019 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 37 रकबा 0.20 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम कोटडा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार नगरफोर्ट के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अपीलांट को साक्ष्य—सबूत प्रस्तुत करने का भी अवसर नही दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नही मंगवाई और न ही मौके का निरीक्षण किया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है और ना ही अपीलांट का तथाकथित आराजीयात पर कोई अतिक्रमण है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई सक्षम साक्ष्य प्रदर्शित नही करवायी गई है,जिसमे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलांट ने उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है,उक्त प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का के साक्ष्य भी लेखबद्व नही किये है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट किस तारीख को तैयार की,उक्त तारीख का

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

अंकन भी रिपोर्ट मे अंकित नही है। नायब तहसीलदार नगरफोर्ट ने अपनी रिपोर्ट मे उक्त ख0नं0 पर किसी प्रकार का अब अतिक्रमण नही माना है। अपीलांट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उक्त आराजी पर मेने अतिचार नही किया है। यदि पूर्व मे मेरे द्वारा कोई अतिक्रमण हो तो भी उसे हटा लूंगा। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया है।अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील नही हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 37 रकबा 0.20 है0 किस्म चरागाह भूमि वाके ग्राम कोटडा तहसील दूनी पर रजका की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 702 निर्णय दिंनाक 30.11.2018 से बेदखल किया गया है। नायब तहसीलदार नगरफोर्ट ने पत्र क्रमांक 83 दिनांक 04.09.2019 से अवगत कराया है कि उक्त खसरा नम्बर पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही है। अपीलांट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उक्त आराजी पर मेने अतिचार नही किया है। यदि पूर्व मे मेरे द्वारा कोई अतिक्रमण हो तो भी उसे हटा लूंगा। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत धारा 91 कि रिपोर्ट व दिनांक 27.08.2019 की मौका रिपोर्ट मे अपीलांट का पूर्व मे कब्जा माना है,जिससे जाहिर होता है कि अपीलांट चरागाह भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2019 मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन की पुष्टि मे न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 214–216 उद्वरित किये है जो प्रकरण पर चस्पा नही होते है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.02.2019 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(सुखराम खोखर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अति.जिला कलेक्टर, टोंक
टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.01.06 16:56:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: